

# कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या-6/ स्था0लोका0-09/2016

/कृ0, पटना, दिनांक- , 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, मा0प्र0से0  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशालय के अधीन  
सभी कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी।  
सभी विभागीय जिला/प्रमंडलीय नोडल पदाधिकारी।  
प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग,  
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)।  
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।  
प्रशाखा पदाधिकारी, 01, 02 एवं 06

विषय :-

कृषि विभाग द्वारा राज्यकोष से करोड़ों रूपये नियम एवं न्यायादेशों को दरकिनार व अनदेखी कर पद शक्ति का दुरुपयोग करने लूटने एवं संलिप्ता का श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, ग्राम+पो0-मझौली, थाना- सकरा, मुजफ्फरपुर का आरोप।

प्रसंग:-

लोकायुक्त का कार्यालय का पत्रांक-2818 दिनांक 13.10.2016 एवं 1640 दिनांक 17.03.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के साथ संलग्न परिवाद पत्र की प्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद में वर्णित बिन्दुओं की जाँच कर एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गई है। चूँकि परिवाद की प्रकृति भिन्न-भिन्न है, को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों से जाँच एवं उनका मंतव्याकित प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है।

अतएव उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि संलग्न परिवाद में वर्णित बिन्दु जो आप से सम्बद्ध हो कि जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय, ताकि माननीय लोकायुक्त महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, माननीय लोकायुक्त कार्यालय, कौटिल्य मार्ग पटना को उनके पत्रांक-1/लोक (कृषि) 02/11-2818 दिनांक 13.10.2016 के प्रसंग में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि चूंकि आरोप/परिवाद की प्रकृति भिन्न-भिन्न है तथा पुरानी है को ध्यान में रखकर सभी संबंधित पदाधिकारियों से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। ताकि आरोप/परिवाद की समीक्षा में सुविधा हो सके।

अतः सुनवाई की तिथि में कम से कम 3 माह का समय देने हेतु माननीय लोकायुक्त महोदय से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक -

1085

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने करने

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृ०, पटना, दिनांक- 26-11-2016

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

लोकायुक्त का कार्यालय,  
4, कौटिल्य मार्ग, पटना-1  
सुनवाई हेतु सम्मन।



फैक्स / ई0मेल  
विशेष दूत / अत्यावश्यक

संचिका संख्या- 1/लोक( कृषि) 02/11

पत्रांक- 2818/मर

दिनांक- 13/10/16

सेवा में,

उप निदेशक, प्रशासन,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

कृषि विभाग द्वारा राज्यकोष से करोड़ों रुपये, नियम एवं न्यायादेशों को दरकिनार व अनदेखी कर पद शक्ति का दुरुपयोग करके लूटने एवं संलिप्तता का श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, ग्रा0+पो0-मझौली, थाना-सकरा (मुजफ्फरपुर) का आरोप।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय सदस्य, लोकायुक्त द्वारा दिनांक:-21.09.16 को पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि इस परिवाद की सुनवाई दिनांक:- 28.11.2016 को लोकायुक्त कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना में की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्धारित तिथि को इस मामले में जाँच प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेखों के साथ स्वयं या किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक यथोक्त

  
6-10-16  
अवर सचिव

कुन्दन / 05.10.16

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

SO-6  
यमावत, को  
विवाद कावे  
19/10/16

397  
21/10/16  
97-2341जी.  
24/3  
19/11/16



लोकायुक्त, बिहार, पटना।

1/लोक (कृषि) 02/2011

श्री अरविन्द कुमार—बनाम—प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार।

21-09-2016

इस प्राधिकार के द्वारा श्री अरविन्द कुमार के परिवाद पत्र दिनांक 17-1-11 में उल्लिखित कृषि विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध राजस्व कोष के करोड़ों रुपये नियम एवं न्यायादेशों का दरकिनारा, अनदेखी एवं पद तथा शक्ति का दुरुपयोग कर लूटने एवं संलिप्तता के संबंध में जो शिकायत की गयी थी, जिसके संबंध में पिछले 5 वर्षों में कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के अवर सचिव का एक पत्र पत्रांक 443 दिनांक 7-9-16 यह सिर्फ यह कहते हुए भेजा गया है कि परिवाद पत्र में की की शिकायत के लिए तथ्यात्मक कंडिकावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं उप निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग से किया गया है, परन्तु उनके द्वारा प्रतिवेदन आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह खेद का विषय है कि कृषि विभाग के पदाधिकारी परिवाद पत्र में लगाये गये गंभीर आरोपों के संबंध में अपना प्रतिवेदन पिछले 5 वर्षों में समर्पित नहीं कर सके हैं।

ऐसी परिस्थिति में यह प्राधिकार कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना, निदेशक, कृषि विभाग एवं उप निदेशक, कृषि विभाग को यह निदेश देना चाहेगा कि वे परिवाद पत्र के संबंध में अपना प्रतिवेदन इस प्राधिकार को दिनांक 21-11-2016 के पहले निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें और यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस प्राधिकार को उनके विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

इस वाद की सुनवाई दिनांक 28-11-2016 को होगी जिस दिन कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को इस केस से संबंधित सभी अभिलेखों एवं प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करायेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना, निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं उप निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग, बिहार, को फ़ैक्स/ई-मेल/विशेष दूत के माध्यम से भेज दी जाए।  
ललन/-

256  
04.04.2011

7

गोपनीय  
अत्यावश्यक

पत्र सं०-01/लोक(कृषि)02/2011-..... 1640/पत्र  
लोकायुक्त का कार्यालय,  
4, कौटिल्य मार्ग, पटना-1

दिनांक 17/3/11 2011

(4)

श्री अरविन्द कुमार वनाम प्र० सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

लोकायुक्त के अवर सचिव,  
बिहार, पटना ।



कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार, पटना ।

विषय:-

कृषि विभाग द्वारा नियम एवं न्यायदेशों के विपरीत इसकी अनदेखी करने पद शक्ति का दुरुपयोग कर सरकारी राशि के लूट खसोट किये जाने के संबंध में ।

अवर सचिव (उपे)

महाशय,

निदेशानुसार, उपयुक्त विषयक इस संस्थान में प्राप्त श्री अरविन्द कुमार, के परिवार पत्र दिनांक-11.01.11 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए सूचित करना है कि उपयुक्त मामले की प्रारंभिक जांच आपसे कराने एवं एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन, आपके मंतव्य के साथ प्राप्त करने का निर्णय माननीय लोकायुक्त द्वारा लिया गया है ।

ASK for affidavit

विदित हो कि प्रश्नगत मामले में परिवादी द्वारा कृषि विभाग में पद-स्थापित पदाधिकारियों के विरुद्ध पद एवं अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध धनार्जन की मंशा से सरकारी राशि की लूट खसोट करने का आरोप लगाया है । अतः अनुरोध है कि इस मामले की सम्यक् जांच संपन्न करके एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन माननीय लोकायुक्त को पत्र प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर समर्पित करने की कृपा की जाए ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,  
16/3/2011  
लोकायुक्त के अवर सचिव ।  
21/3/11  
273

सचिव कृषि कोषांग  
17.4.2011  
01.04.2011

554/DS 3150  
1.4.11  
4/4/11  
1.4.11

